



Neutral Citation No. - 2026:AHC:50023-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

दांडिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 3777 वर्ष 2026

अबू हरैरा ऊर्फ अवुरैरा

..... याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

..... प्रत्यर्थागण

याची के अधिवक्ता : एस०एम० जफर रजा जैदी

प्रत्यर्थागण के अधिवक्ता : जी०ए०

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याची के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के लिए विद्वान ए०जी०ए० को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. एकदम आरंभ में ही, याची के विद्वान अधिवक्ता ने बार में एक कथन किया है कि वह इस याचिका पर बल नहीं देना चाहते हैं और बेहतर विवरणों के साथ नई याचिका दाखिल करने की स्वतंत्रता के साथ इसे वापस लेने की मांग करते हैं।
3. विद्वान ए०जी०ए० को पूर्वोक्त प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. उपर्युक्त कथन के दृष्टिगत, यह रिट याचिका पूर्वोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस ली गई मानते हुए खारिज की जाती है।
5. सुसंगत दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति नियमों के अनुसार याची के अधिवक्ता को वापस कर दी जाए।

मार्च 11, 2026

के०यू०

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।